न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली कैम्प सिरोही

पीठासीन अधिकारी : डॉ. बजरंगसिंह चौहान, आर.ए.एस.

अपील संख्या : 31/2016

अपीलाण्ट	बनाम	रेस्पोडेन्ट्स
1 शंकर पुत्र पीथाजी पुरोहित		1 राजस्थान राज्य जरिए तहसीलदार रेवदर जिला सिरोही
2 फुलाराम पुत्र धुलाजी पुरोहित		2 नथाराम पुत्र वेलाराम जाति मेघवाल निवासी सिरोडी
3 भूराराम पुत्र चौपाजी पुरोहित		3 कनका पुत्री वजाजी जाति भाम्बी निवासी सिरोडी तहसील रेवदर जिला सिरोही
4 चेलाराम पुत्र रावताजी पुरोहित		4 भूरी पुत्री वजाजी वजाजी जाति भाम्बी निवासी सिरोडी तहसील रेवदर जिला सिरोही
5 थानाराम पुत्र दरजाजी पुरोहित निवासीगण वाहन ग्राम पंचायत पामेरा तहसील रेवदर		

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित :–

1. श्री सुरेश सुराणा, विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट
2. सरकारी पैरोकार, रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की ओर से
3. श्री नाथूसिंह देवडा, रेस्पोडेन्ट संख्या 2 से 4 की ओर से

–: निर्णय :–

दिनांक : 29.6.18

अपीलाण्ट्स की ओर से यह अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत विरूद्ध रेस्पोडेन्ट्स के प्रस्तुत कर न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर सिरोही द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 04/2014 में पारित आदेश दिनांक 18.03.2016 को अपास्त कराने का निवेदन किया। अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट्स को जरिये सम्मन तलब किया तथा अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड तलब किया। उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि ग्राम वाहन के खसरा नम्बर 195 की 6 बीघा 4 बिस्वा भूमि, जो वर्तमान रेकर्ड में खसरा नम्बर 195/1 के रूप में दर्ज है। उक्त भूमि का वर्श 1972 में वजा पुत्र चौपाजी भाम्बी को आवंटन हुआ। उक्त आवंटन के आधार पर उनका नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज किया गया। उक्त भूमि ग्राम के गोचर की भूमि है, जिसमें ग्राम के मवेशी चरते है तथा इसके अतिरिक्त गांव के लोगों की मृत्यु होने की दशा में इसी भूमि पर उनका अन्तिम संस्कार किया जाता है। इस कारण उक्त भूमि सार्वजनिक उपयोग की होने से आवंटन योग्य नहीं थी। इसके बावजूद भी बिना किसी आदेश के

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

रेस्पोडेन्ट्स के पूर्व वजा का नाम राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज किया गया है। उक्त आवंटन के पूर्व तथा पश्चात भी आवंटी एवं उनके वारिशान का कब्जा काश्त नहीं है। इन समस्त तथ्यों के आधार पर अपीलाण्ट्स द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उक्त आवंटन निरस्त कराने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जैर अपील आदेश के जरिये उक्त प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया, जो विधि विरूद्ध है। चूंकि आवंटी द्वारा न तो आवंटन शर्तो की पालना की तथा न ही मौके पर उनका कब्जा काश्त है। इसके अतिरिक्त भूमि सार्वजनिक उपयोग की थी, जिसका कानूनन आवंटन नहीं किया जा सकता है। इस कारण जो आवंटन किया गया है, वह विधि विरूद्ध है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित जैर अपील आदेश में मुख्य रूप से यह आधार लिया गया है कि आवंटी को खातेदारी अधिकार प्रदान किए जा चुके है। इसके कारण आवंटन निरस्त नहीं किया जा सकता है। इस सम्बन्ध में जब विधि विरूद्ध रूप से अधिकार प्राप्त किये जाते है तथा आवंटन आदेश ही आरम्भ से शून्य हो तो उस आदेश की पालना में की गई समस्त कार्यवाही आरम्भ से शून्य प्रभावी होगी। चूंकि आंवटी को विधि विरूद्ध रूप से भूमि का आवंटन किया गया है, जो निरस्त योग्य है। अतः अपील स्वीकार करावें एवं रेस्पोडेन्ट्स के पूर्व वजा पुत्र चौपाजी के नाम हुए आवंटन को अपास्त कराने का आदेश प्रदान करावें।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट्स ने अपनी बहस में कथन किया कि अपीलाण्ट ने अपनी अपनी का जो आधार लिया है, उसके तहत अपीलाण्ट का प्रकरण सुखाधिकार में कवर होता है, जिसके लिए राजस्व न्यायालय सक्षम नहीं है। इस हेतु सिविल न्यायालय में ही जाना होगा। जैर अपील वादस्थ भूमि रेस्पोडेन्ट के पूर्वज वजाजी को वर्ष 1975 में आवंटन हुई है। उक्त भूमि पर वक्त आवंटन से ही आवंटी का कब्जा काश्त था एवं उनके पश्चात उनके वारिशान का कब्जा काश्त है। आवंटन सलाहकार समिति द्वारा विधिवत प्रक्रिया अपनाते हुए आवंटन किया गया है तथा आवंटन के पश्चात आवंटी को उक्त भूमि का कब्जा सुपुर्द किया है। आवंटी द्वारा आवंटन शर्तो की पालना करने के कारण उसे खातेदारी अधिकार प्रदान किये गये है। एक बार खातेदारी अधिकार प्राप्त होने के पश्चात नियम 14 (4) के तहत खातेदारी अधिकार समाप्त नहीं किए जा सकते है। इसके अतिरिक्त अपीलाण्ट्स का उक्त प्रकरण में किसी प्रकार का हित निहित नहीं है। प्रकरण आवंटी एवं सरकार के मध्य का है, जिसमें तृतीय पक्ष को दखल देने का कोई अधिकार नहीं है। अपीलाण्ट का कथन है कि आवंटी द्वारा कृषि नहीं की गई है, जबकि हमने खसरा गिरदावरी की प्रति प्रस्तुत की है। खातेदारी अधिकार प्राप्त होने के पश्चात राजस्व रेकर्ड में दर्ज खातेदार से रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा भूमि क्रय की गई है। इस प्रकार रेस्पोडेन्ट संख्या 1 बोनाफाईड पर्चेज़र है। इसी भूमि में से अन्य व्यक्तियों को भी भूमि का आवंटन किया गया है, जिसे अपीलाण्ट द्वारा चुनौती नहीं दी गई है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधिवत जांच के पश्चात जैर अपील आदेश पारित किया है, जिसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटी नहीं है। अतः अपील खारिज करावें। विद्वान

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

अभिभाषक रेस्पोडेन्ट्स ने अपनी बहस के समर्थन में आर0बी0जे0 2017 पेज 31, आर0आर0डी0 14.10.2011 पेज 659 में प्रतिपादित न्यायिक सिद्धान्त का सहारा लिया।

बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया एवं प्रस्तुत न्यायिक सिद्धान्तों का ससम्मान अवलोकन किया। अपीलाण्ट द्वारा अपील में वर्णित तथ्यों को आधार बनाते हुए अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष आवंटन निरस्त कराने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आवंटन में कोई अनियमितता नहीं पाये जाने तथा खातेदारी अधिकार प्राप्त करने के कारण आवंटन निरस्त नहीं किये जाने के तथ्य अंकित करते हुए जैर अपील आदेश पारित किया है। अपीलाण्ट का मुख्य उज्र यह है कि जैर अपील वादस्थ भूमि सार्वजनिक प्रयोजनार्थ उपयोग की होने के कारण आवंटन हेतु उपलब्ध नहीं थी तथा आवंटन विधि विरूद्ध रूप से हुआ है तथा आवंटी का आवंटित भूमि पर आवंटी का कब्जा काश्त नहीं होने के आंवटन अपास्त कराने का निवेदन किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश में आवंटन का विस्तृत विवेचन करते हुए न्यायिक सिद्धान्तों के परिप्रेक्ष्य में प्रकरण का परीक्षण किया गया है। आवंटन के पश्चात आवंटी का नाम राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज किया गया है तथा आवंटन शर्तो की पालना करने के पश्चात ही खातेदारी अधिकार प्रदान किये जाने के प्रावधान है। हस्तगत प्रकरण में आवंटी को खातेदारी अधिकार प्राप्त हो चुके है तथा उसके पश्चात उक्त भूमि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा क्रय की गई है, जिससे रेस्पोडेन्ट संख्या 1 उक्त भूमि के सद्भावी काश्तकार है। जैर अपील वादस्थ भूमि पर काश्त के सम्बन्ध में रेस्पोडेन्ट्स द्वारा खसरा गिरदावरी की प्रतियां प्रस्तुत की है, जिससे अपीलाण्ट के इस तथ्य में कोई बल नहीं पाया जाता है, कि जैर अपील वादस्थ भूमि पर रेस्पोडेन्ट द्वारा काश्त नहीं की जाती हो। राजस्थान भू राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम 1970 के नियम 14 (4) में जो प्रावधान विहित है उसके अनुसार ऐसा आवंटन, जो कपट से अथवा तथ्य छुपाकर अथवा मिथ्या व्यपदेशन से अथवा नियम विरूद्ध हासिल किया गया हो अथवा आंवटी द्वारा आवंटन की किसी शर्त का उल्लंघन किया गया हो, को जिला कलक्टर निरस्त करने हेतु सक्षम है। प्रश्नगत आवंटन आवंटी द्वारा छल या कपट से अथवा तथ्य छुपाकर मिथ्या व्यपदेशन से या नियम विरूद्ध तरीके से कराया गया हो, ऐसा कोई आक्षेप हस्तगत प्रकरण में सिद्ध नहीं होता है। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय की वृहदपीठ द्वारा सिविल रिट याचिका संख्या 948/1986 पतराम व अन्य बनाम राजस्थान राज्य व अन्य में दिनांक 31.08.1995 को पारित निर्णय में यह अभिनिर्धारित किया है कि "The khatedari rights conferred upen the tenant can be withdrawn only in accordance with the provisions of the Rajasthan Tenancy Act. 1955, and the Collector has no power under rult 14(4) of the Act to cancel the allotment made in favour of the petitioners eith respect to the land in which the khatedari right have already ben conferred upon them because after theconferment of the Khatedari right, the applicability of the rules come an end, The power under sub Rule (4) of Rule 14 of the Rules,1970 can be

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

exercised by the Collector before conferment of the Khatedari rights and after the conferment of the khatedari rights.the petitioners acwuired all the rights for which they are entitled under the Rajasthan Tenancy Act and there after the provisions og Sub-rule (4) of rule 14 of the Rules, 190 has no application." आर0आर0टी0 2007 (2) पेज 1430 में माननीय राजस्व मण्डल की एकलपीठ द्वारा यह अभिनिर्धारित किया है कि "विवादित आवंटन लगभग 40 वर्ष पुराना है एवं माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपने निर्णय ए.आई.आर. 1994 पेज 1128 में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया है कि यदि कोई आवंटन अनियमित भी हुआ हो तो भी इतनी लम्बी अवधि के आवंटन को निरस्त करना न्याय के साथ खिलवाड (Travesty of Justice) है। यह मामला बहुत पुराना है एवं इतने पुराने मामले में 40 वर्ष बाद खातेदार काश्तकार से अधिक भूमि काश्तकारी अधिनियम के तहत कार्यवाही किये बिना वापस लेने का निर्णय बहुत कठोर निर्णय होगा। यह न्यायिक सिद्धान्त हस्तगत प्रकरण पर पूर्णतः चस्पा होता हैं, क्योंकि इस प्रकरण में भी आवंटन के लगभग 42 वर्ष पश्चात आवंटन निरस्तीकरण हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है, इसके अतिरिक्त इतनी लम्बी अवधि पश्चात आवंटन निरस्त हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने का कोई युक्तियुक्त कारण/आधार भी दर्शित नही किया गया है। इस कारण अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जैर अपील निर्णय पारित करते हुए अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र खारिज किया है, जिसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटी दृष्टिगोचर नहीं होती है।

परिणाम स्वरूप अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन एवं बलहीन होने से खारिज की जाती है तथा न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर सिरोही द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 04/2014 में पारित आदेश दिनांक 18.03.2016 को यथावत रखा जाता है। निर्णय की प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड तलब हो।

यह निर्णय आज दिनांक 29.6.2018 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

BV

(डॉ. बजरंगसिंह चौहान)
राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली
कैम्प सिरोही

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली